

GOA PRADESH CONGRESS COMMITTEE

Address D B Bandodkar Marg, Panaji, Goa 403 001 20 0832 - 2223765 Fax 0832 - 2235414

Website www.gpcc.co.in E-mail goapcc@gmail.com

6th June 2019

To,
Shri Santosh Kumar,
Under Secretary,
Election Commission of India,
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001

Sub Submission of details in respect of Electoral Bonds regarding

Ref No 76/Transparency/2017/PPEMS/Vol II

Dear Sir,

Enclosed please find herewith the statement of Electoral Bonds received from M/s V M Salgaonkar & Bros Ltd, Vasco

Thanking you,

Yours sincerely,

KHEMLO SAWANT

Secretary



GOA PRADESH CONGRESS COMMITTEE

Address D B Bandodkar Marg, Panaji, Goa 403 001 20832 - 2223765 Fax 0832 - 2235414

Website www.gpcc.co.in E-mail goapcc@gmail.com

STATEMENT OF ELECTORAL BOND RECEIVED FROM V.M SALGAONKAR & BROTHERS DURING PARLIAMENTARY ELECTION 10th APRIL 2019. THE DETAILS ARE AS FOLLOWS -

DATE DETAILS

AMOUNT

10/4/2019

30 Electoral Bonds

@1,00,000/- Bond

30,00,000/-

30,00,000/-

=======

(Rupees Thirty Lakhs Only)

Thanking you,

Yours sincerely,

KHEMLO SAWANT

Secretary

95BI

भारतीय उटेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) ्रेक्स्प्रीरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुंबई - 400021 Corporate Centre State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

@\9

इलक्टोरल वाण्ड/ELECTORAL BOND

प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

C.

जारी करने की तिथि Í DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VÁLUÉ ÓF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिएं, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते मे यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है ।

उक्त राशि का भुगतान करूने के उपरात बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon suffered of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government yield Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

lanaji

Authorize**ष S**igna । इपी दास IMPY DAS

नियम एव शर्त

- 1 इलेक्टोरल द्रॉण्ड एक धारक विका लिखन होगा जिसे भारतीय स्टेट बक द्वारा आधिक कार्य विभाग वित्त मन्नालय भारत सन्कार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाब 2 जनवरी 2018 के अनुरार जारी किया गया है।
- 2 इलक्टोरल बॉण्ड का क्रता इसे अपनी उच्छानु गर थिसी भी एसी राजनीतिक पार्टी को जुमुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का ६८) की धारा 29 क के तटत पजीकृत है आर जिस लाक सभा अथग विधान सभा के पिछले आम चुनाव म डाले गए कुल वोटो का कम से कम एक प्रतिशत वाट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इनेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल गात्र राजनोतिक पार्टी द्वारा गज्जट अधिसूचना रा 20 दिनाक 2 जनवरी 2012 क अनुलग्नक-1 म उल्लिखित प्राधिकृत वक भाखा म खोल गए अपने नामित बक द्यात म इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टारल बॉण्ड की वधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए हागी ओर पदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसो आदाता राजनीतिक णार्टी को कोइ भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी नी पिरिश्यित में इस इलेक्टोरल वॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का टावा किए जाने पर काई डुप्लिकट इलेक्टारल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जानी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल वॉण्ड पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा ।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designafed Bank Account maintained vith Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Cazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid to period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable pasis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shal be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall no be eligible for frading

TSBI

भारतीयं स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

F.

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND

प्रोमेंप्रेरी नीट के स्वरूप मे / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

(G. 10)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात् बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

了了相比 2019

प्राधिकृत हम्ताक्षरी Authorized Signatory इपी दोस

MPY DAS

नियम एव शर्ते

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक वैकिंग लिखल हागा जिसे भारतीय स्टंट एक द्वारा आथिंग काय विभाग वित्त मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसुचना स 26 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया हूं ।
- इलक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुमार किसी नी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर मकता / सकती है जो लोक पितिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की पारा 29 का कहत पार्मीकृत हो आर जिसे लाक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम प्रनाव में जले गए कुल वोटो का कम से कम एवं प्रतिशत बोट प्राप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टोरल बँण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलम्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत वक शाखा में खोले गए अपने नामित बेक खाते में इरा जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टारल बॉण्ड की देधता उसक निर्गम की तारीख स 15 दिन के लिए हागी और यदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता ह तो किसी आदाता गजनीनिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी पिरिधित म इस इलक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलक्टोरल बॉण्ड की राशि वाण्स नहीं की जाएगी।
- केता द्वारा इलक्टोरल बॉण्ड मृल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर काई डुप्लिकट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जागी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोइ ब्याज नही दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा ।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Farty of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is craimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or muulated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bono
- 9 Electora Bond shall not be eligible for trading

ASB!

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेंट बेक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act 1955) कॉरपोर्श्ट केन्द्र, स्टेट बेर्क भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centrey State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

6V9

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND

प्रोमेर्सरी नीट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

ૡઌ૱

जारी करने की तिथि Í DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALÚÉ OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान कुरने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

[] O APR 2019

प्रिधिकृति(हेस्ताक्षरी Authorized Signatory

MPY DAS

गियम एव शर्त

- ! इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक धिका लिखत हो ग जिने भारतीय रटेट बक द्वारा आर्थिक काय विभाग विन मत्रालय भारत सरकार टबारा जारी गजट अधिराचना स 20 दिसाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलक्टोपल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किरी नी गंती राजनीतिक पार्टी को सुनुद कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वह 1951 का 43) का छारा 29 क क तहत पजीकृत हो आर जिसे लाक तथा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वाटो का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हा ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकटीकरण केवल पात्र राजनीतिक "गर्टी द्वारा गजट अधिस्चना रा 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत देक शाखा में खेल गए अपन नाग्ति बक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल वॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीख स 15 दिन के लिए होगी आर यदि बॉण्ड वधता अवधि समाप्त होने क बाद जमा किया जाता ह तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोइ भुगतान नहीं किया जाएगा '
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलक्टोरल वॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हा जान का ठावा किए जाने पर कोई डुप्लिकट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नही किया जाएगा । कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड कं बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नही दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

- Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank or India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt of India
- Purchaser of the Electora' Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act. 1951 (43 of *951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained vith Authorized Bank Branch as given in Annevure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment or Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc snall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No inferest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be el gible to, trading

65B

बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैक अधिनियम 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act 1955) काँ रपोरेट केन्द्र, स्टेट बेक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पाँइट, मुबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

लंबरोरल बाण्ड/ELECTORAL BOND

(प्रोमेर्सरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

जारी करने की तिथि। DATÉ OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि कें लिए, बैर्क एंतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बेंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि किन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड र्स्कीम, 2018 के अनुसार है 🗥

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

नियम एव शतं

- 1 इलेक्टोंग्ल बॉण्ड एक धारक बेकिंग लिखत होगा जिसे नारतीय स्टेट बेंक द्वारा आजिक कार्य विभाग वित्त मत्रालय भारत सरकार दवारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेटा इस अपनी इच्छा सार विसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (यर्ष 1951 का 44) है। बारा 29 क के तहत पजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव म खले गए कुल बोटा का क्या से कम एक प्रतिशत तोट प्राप्त हुआ हा ।
- 3 इलेक्टोरल बाँण्ड का नकदीकरण केदन पान राजाीनिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना रा 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा ने खोले गए अपने नामित बेक खात में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल वॉण्ड की वधता उरके निर्गण की तारीच स 15 दिन के लिए होगी आर यदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त टोने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाना राजनीतिक पार्टी का कोट्ट भुगनान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 केता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापरा नही की जाएगी।
- केता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल पित गुम हो जाने का टावा किए जाने पर काई डुप्लिकेट इलक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड के बदले मे नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued Ly State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2 to January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance Govt of India
- 2 Purchaser of the Flectoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last Ceneral Election to the house of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be vaud for 15 days from the gate of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is geposited after expiry of valid ty period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issue i to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for traon g

MSB!

भारतीय रटेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेंट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कॉरपोर्स्ट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुंबई - 400021 Corporate Centre State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

FV

इलक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

CAD.

जारी करने की तिथि। DATE OF ISSUE

ज़ारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है 1

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान I Place रिकार्य

近少期 2019

प्राधिकृत् रस्ताक्षरी Authorized Signatory

> ड्पी दास IMPY DAS D - 8758

निरम एव शर्त

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक वेकि । लिखन दागा जिस भारतीय रटट वक द्वारा आथिक कार्य निभाग वित्त मन्नालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है ।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेला इस अपनी इच्छानुसार किसी ी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाते गए कुल बोटो का कम से कम एक प्रतिशन वोट प्राप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकटीकरण केनल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना ए 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत वैक शाखा मे खोल गए अपने नामित देक खात म इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की देधता उसके निर्भम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी आर यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता हे ता किसी आदाता राजनीतिक णर्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिस्थिति मे इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुातान नकदी मे नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- केता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मृन प्रति गुम हो जाने का टावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नही किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड क वदल य नथा बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नही दिशा जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा ।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank or India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs, Ministry of Γinance Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the Puople Act, 1951 /43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electora Bong can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Sond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond wi'l be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

95BI

भारतीय उटेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैक अधिनियम , 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कॉरेपोरेट केन्द्र, स्टेट बेक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

इलेक्ट्रोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

وري الم

जारी करने की तिथि DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की, राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिंए, बैक एतंदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बेक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का बचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place Tangy

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorized Signatory

> इपी दास IMPY DAS D - 8758

नियम एव शतं

- 1 इलेक्टारल बॉण्ड एक धारक वेकिंग लिखल होगा जिन्ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 26 दिनाक ८ जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इनक्टोरल बॉण्ड का क्रेंता इस अपनी दृच्छानुभार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टा को सुपुर्द कर सकता / सकती ह जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क क तहन पजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव म डाले गए कुल वोटो का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बेळ शाखा में खोल गए अपने नामित देऊ द्याते में इस जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निर्भम की तारीख स 15 दिन के लिए होगी आर यदि बॉण्ड वंधता अविब समाप्त होने के बाद जमा किया जाना ह तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को काइ भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिस्थिति म इस इलक्टोरल बॉण्ड का भुगनान नकदी मे नही किया जाएगा ।
- 6 क्रेना का इलेक्टोरल बॉण्ड वी राशि वापस नही की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मृल प्रति गुम हो जान का ढावा किए जान पर क'ई डुप्लिकेट इलेदटोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 3 इलेक्टारल बॉण्ड पर कार्ड ब्याज न्हीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance Govt of India
- Purchaser of the Flectoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained vi th Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and πo payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid ty period
- 5 No cash payment of Electoral Bono is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- No duplicate Electoral Bond will be issued a the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payabig on Electoral Bond
- B Electoral Bond shall not be eligible for trading

क STATE BANK OF INDIA

अधिनियुँम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) क्रिंगोरेट केन्द्र रूटेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centre State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

रिल बाण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रीमेसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

जारी करने की तिथि DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनी तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि /VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैके एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के र्नामित बैक खाते में ,यह मूल लिखंत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वर्चन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड र्स्कीम, 2018 के अनुसार है।

र्जक्त राशि का भुगतान कुरने के उपरांत बैक की देवता पूर्ण रूप्र से समाप्त हो जाएगी ।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

नियम एव शर्त

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक वेकिंग लिखत होग जिसे भारतीय रटेट बेक द्वारा आधिक कार्य विभाग वित्त महालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना रू 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया ाया है।
- 2 इनेक्टोरल बॉण्ड का क्रला इसे अपनी इच्छानुसार फिसी नी ऐसी राजनीटिक पार्टी का सुपुद कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वप 1951 का 43) की बाप 29 क के लहत पजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथा विधान सभा के पिछले आम चुनाव म डाले गए कुल वोटो का कम से कम एक प्रतिशत वोट पाप्त हुआ हो ।
- 3 इलक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राज गितिक पार्टी दनारा गजट अधिसूचना रा 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा मे खोल गए अपने नामित बैक खाते म इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वधता उसके निर्गन की तारीख म 15 दिन क लिए होगी और यदि बॉण्ड वंधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाना पाजनीतिक पार्टी को कोइ भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिरिथिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ट का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता का इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड नृल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर काई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नही किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड क बदले मे नया वॉण्ड जारी नही किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं हागा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Cazette Notification No. 20 dates 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt of India
- Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained ith Author zeo Bant Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Elec oral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

95BI

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट्रेंबिक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) ्रेट्कॉर्पोरेट केन्द्र स्टेट बैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइर्ट, मुंबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

S.

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND

प्रीमेंसरी नोर्ट के स्वरूप में IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

CAD.

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान् कुरूने के उपरात बेक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी ।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

ET 10 APR 2019

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorized Signatory

> इपी दास IMPY DAS D - 8758

नियम एव शतं

- इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बंकिंग लिखत होगा जिस भारतीय स्टेट बंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनदरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इनक्टोरल बॉण्ड का क्रता इन अपना इच्छानुसार किसी थी ऐसी राजनीतिक गार्टी को सपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हो और जिरे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव ने डाल गए कुल बोटो का कम से कम एक प्रतिशत तोट प्राप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण कवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना रू 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा में खोल गए अपने नामित बक खाते में इसे जमा करके किया जग सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीरू स 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त होने के वाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीति है पार्टी जा कोइ भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिक्थिति में इस इलेक्टोरल वॉण्ट क' नुगनान नकदी में नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड गृल प्रति गुम हा जान का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टारल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत वॉण्ड क बदल में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।

L

- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जग्एमा ।
- 9 इलेक्टारल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं हागा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt or India
- Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid ty period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond wi'l be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

ass.

भारतीय स्टेट बैक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेंट बैंक अधिनियम 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point Mumbai - 400021

EVP

इलक्टोरल बाण्ड/ELECTORAL BOND

प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

رو*ب*ی

-जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि $^{'}$ से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VÁLÚE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम 2018 के अनुसार है,

- उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

1 1 APR-2019

प्राधिकृत हिस्ताक्षरी Authorized Signatory इपी दोस

MPY DA: D - 8758

नियम एप शतें

- इलेक्टोरल् बॉण्ड एक था क व केम निखन होगा शिरों भारतीय स्टेट बैक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मन्नालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- इलक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अप ने इच्छानुसार जिसी नी एसी राजैनीतिक एाटों को सुपूर्व कर सकता / सकती है जो लाक प्रतिनिधित्व श्लाबदारल बाष्ड का अला इस अब १ इंग्लाह तार 1981 मा प्रकाराजन तिक बादा व 1 सुनुद कर सकता र सकता है जा लाक आतानाबद अधिनियम (वर्ष 1951 का 43) की दान 29 के के तहत पजीकृत हो आर जिसे लाक समा अथवा विधान सभा के पिछले आम
- इलेक्टारल बॉण्ड का नकटीकरण केवल पात्र राज नित्क पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा में खोल गए अपने नामित देक खाते में इसे जम्म करके किया जा सकता है।
- इलेक्टोर्ल बॉण्ड की वैधता उसके निर्ाम की तारीख न् 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता हे तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा । 5
- क्सि भी परिस्थिति म इन इलेक्टोरल बाण्ड का थुगता । नकदी ने नहीं किया जाएगा ।
- क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मृल प्रति गुम हो जान का टावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाण्या ।
- हलेक्टोरल बॉण्ड देडिंग के लिए पात्र नहीं होगा ।

- Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Cazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance
- Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last Ceneral Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- Electoral Bond can be encashed only by an elig ble Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 20 8
- Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid ty period 5
- No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- Electoral Bonc shall be issued to the Luyer on non refundable basis
- No duplicate Electoral Bond will be issued in the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement 7 8
- No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

OSB!

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

J. 190

इलेक्टोरल वॉण्ड/ELECTORAL BOND

ૡઌ૱

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड रकीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतार्न करने के उपरात् बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place Tanoph

江西北西河。

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorized signatory

> इपी दास IMPY DAS D - 8758

नियम एव शर्त

- 1 इलेक्टोरल ऑण्ड एक धारक देंकिन लिखत हागा जिसे भारतीय रटेट बेक टवारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मत्रालय नारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसान जारो किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इस्छानुसार फिसी थी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वब 1951 का 43, की धारा 29 व के तहत प्रजीकृत हो और जिसे लाक सभा अथवा विधान राभा के पिछल आम चनाव म झते गए कुन वोटो का कम से पम एक प्रतिशा वोट प्राप्त हुआ हु। ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केदल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना रा 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत वैक शाखा म खोले गए अपने नामित दक खाते मे इस जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निर्मय की तार्णेख स 15 दिन के लिए होगी ओर यदि बॉण्ड वंधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोइ नुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी पिन्स्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगनान नकदी में नहीं किया जाएगा !
- 6 केता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मृल प्रति गुम हो जान का दावा किए जाने पर काई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नही किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड के प्रदले मे तथा बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टारल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Bankii g Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dopt of Economic Affairs. Ministry of Finance Govt of India
- Purchaser of the Flectoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encached only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained to fin Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the case of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid ty period
- 5 No casis payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable bas s
- 7 No duplicate Electoral Rond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No inferest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

PSB

बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बेक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कीरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporaté Centre, State Bank Bhavan Madame Cama Road, Narıman Point, Mumbai - 400021

लेंक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND

प्रामेसरी नीट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

जारी करने की तिथिंग DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि (VALUÉ OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

िराम एव शहें

- 1 इलेक्टोरल कॉॅंग्ड एक धारक विकिन लिखल हागा जिसे भारतीय स्टेट वेक द्वारा आधिक कार्य विभाग वित्त मन्नालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 क अन्तरार जारा किया गया है।
- 2 इलक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इर' अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (यह 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पजीकृत हो ओर जिसे लाक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए दुन्त वाटो का कम से कम एक प्रतिशन वोट प्राप्त हुआ हु।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण दंचल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 क अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शासा में खाल गण अपने नामित हेक खाते में इसे जमा करक किया जा सकता है।
- 4 इलक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसक निर्गम की तारीख स 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वंधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता ह तो किसी आदाता राजनी कि जारी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टारल बॉण्ड का भुानान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- क्रिता द्वारा इलक्टोचल बॉण्ड मृल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोइ डुप्लिकेट इलेक्टोचल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
 कटे—फटे एव विकृत बॉण्ड के बदले मे नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रंडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazetie Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs. Ministry of Finance Govt. of India.
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the house of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for *5 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expire of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond vill be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible to tading

assi

भारतीय रटेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेंट बैक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बेक भवन, मादाम कामा रोड नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road Nariman Point, Mumbai - 400021

F.

इंलेक्टोरलं बॉण्ड / ELECTORAL BOND प्रोमेंसरी नोट के स्वरूप में IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

ૡઌ૱

जारी करने की तिथि। DATE OF ISSUE

जारी करने की तिर्थि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गुई राशि के लिए, बैक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने को वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी ।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

D'O APPIZOIS

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorized Signatory इपी दास

MPY DAS D - 8758

नियम एव शतें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बेकिन लिखल होगा जिस नारतीय स्टेट बेंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मन्नालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अविसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलक्टोरल बॉण्ड का क्राम इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी एमी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधिन्य अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 42) की धारा 29 का का तहत पजीकृत हो और जिसे लाक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आन चुनाव में खले गए कुल वोटो का कम से कम एक प्रतिणन वोट प्राप्त हुआ हा । '
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 क अनुलग्नक-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा मे खाल गए अपने नामित दक खात में इस जमा करके किया जा सकता है ।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीख र 15 दिन के लिए होगी ओर यदि बॉण्ड वेधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीनिक पार्टी को काइ भुगतान नहीं दिया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति म इस इलक्टारल जॉण्ड का भुगतान नकदी में नही किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जान का टावा किए जान पर कोई डुप्लिकेट इलक्टोरल बॉण्ड जारी नही किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड के बदले गे नया बॉण्ड जारी नही किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नही दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt of India
- Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Poliucal Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the voices polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained in high Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 20⁴8
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid ty period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc snall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for tracing

ASBI

वैक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) -कॉर्प्)रेंट केन्द्र, स्टेट बैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई = 400021 Corporate Centre State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

रल राण्ड/ELECTORAL BOND प्रीमेर्सरी नोर्ट के स्वरूप मे / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध I VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते मे यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केर्द्ध सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड 🤊 स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान क्ररने के उपरात बेक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

नियम एव शर्त

- इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक वेकिन तियत होना जिस भारतीय स्टट बक द्वारा आधिक कार्य विभाग वित्त मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनदरी 2018 क अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलक्टोरल बॉण्ड का क्रेता वृसं अपनी इच्छानुमार मिसी ी एसी राजनीटिक पार्टी को सुपुर्द कर राकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) वि धारा 29 क के तहत प्जीकृत हो आर जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटो का कम से कम एक प्रतिशन वोट पाप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पान राज तितक पार्टी द्वा १ गज्र उपिस्तूवना रा 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा म खाले गए अपने नामित बक धाते मे इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोश्ल बॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीच स 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त हाने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोइ नुगनान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किरी भी परिस्थिति मे इस इलेवटारल बॉण्ड का भुगतान नकदी म नही किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोग्ल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मृल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई हुप्लिकेट इलक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
 कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले मे ाया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग क लिए पात्र नहीं हागा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2no January 2018 issued by Dept of Fconomic Affairs Ministry of Finance, Govt of India
- Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Poliucal Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment or Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issuen to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall no be eligible for trading

MSB!

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुंबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

@V9

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND

प्रीमें सुरी नीट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

وري م

जारी करने की तिथि। DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि । VALUE OF THE INSTRUMENT र 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते मे यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जी कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान कुरने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

ऋँथान / Place

\$ PAR 2019

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorized Signatory इपी दोस

IMPY DAS

नियग एव शर्ते

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक देकिंग लिख्त होगा जिसे भारतीय रटेट देक द्वारा आधिक कार्य विभाग वित्त मन्नालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलक्टोग्ल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पाटो को मुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के नहत पाणिकृत हो आर जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटो का कम से कम एक प्रतिशान वोट प्राप्त हुआ हु।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राज ीतिय पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना रा 20 दिनाव 2 जनवरी 2018 के अनुल नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा में खोले गए अपने नामित बेक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीख स 15 दिन के लिए हागी आर यदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है ता किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोइ भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉग्ड का भुगनान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टारल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हा जग्न का वावा किए जाने पर कोई डुप्लिबेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड क बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल वॉण्ड पर कोइ ब्याज नहीं दिया जण्णा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रंडिंग के लिए पात्र नहीं हाना ।

- 1 Electoral BonJ is a Bearer Banking Insurument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs. Ministry of Finance, Govt. of India
- Purchaser of the Flectoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid ty period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issuen to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond พย่ be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

ASB

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेंट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act 1955) कारपीरेट केन्द्र, स्टेट बैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

<u> Fro</u>

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND

प्रोमेसरी नीट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

ري م

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

ज़ारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

[1 0 APR 2019

प्राधिक्त हस्ताक्षरी Authorized Signatory

> MPY DAS D - 8758

नियम एव शर्ते

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक वैकिन लिखत हागा जिस भारतीय रहेट दैक दगरा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मनालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 29 दिनाक 2 जनवरी 2018 क अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी दच्छानरगर िसी नी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्द अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहन एजीकृत हा और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटो का कन से कम एक प्रतिशत वाट प्राप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण कंजल पात्र गजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलन्क-1 मे उलिलखित प्राधिकृत बंक शाखा मे खोल गए अपने नामित बैंक द्याते में इसे जमा क के किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल वॉण्ड की वेधता उसके निगम की तारीख से 15 दिन के लिए हागी आर यदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का काई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोग्ल बॉण्ड का भुगतान न कदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापरा नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मृल प्रति गुम हो जान का दावा किए जाने पर काई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नही दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोञ्ल वॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Afrairs, Ministry of Finance Govt of India
- Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party or his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 20⁴8
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the αate of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mufilated Bond will be oriered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

कि SBI ट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कारपोरेट केन्द्र, स्टेट हैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

रिल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

प्रोभिसंरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथ्रि, से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशिँ / VÁLUÉ OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खातें में गूह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जी कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है,।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government Wylde Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

नियम एव शर्ल

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक विका लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बेक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलक्टोरल बॉण्ड का क्रेला इसे अपनी इच्छानुस्तर विसी भी ऐसी शजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के नहत पजीकृत हो ओर जिसे लोक सभा अथवा वियान सभा के पिछले आम चुनाद में डाले गए कुल वोटो का वम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टारल बॉण्ड का नकदीकरण केदल पात्र राजनीतिक पार्टा द्वारा गजट अधिसूचना रा 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलन्नक-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा मे खोल गए अपने नामित बक खाते म इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टारल दॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीख न 15 दिन के लिए होगी आर यदि बॉण्ड वंधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राज ीतिक व्यर्टी को कोइ भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस ट्लेक्टोरल बॉण्ड का भुातान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- केता द्वारा इलेक्टोरल वॉण्ड ाूल प्रति गुम हो जाने का दाया किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलक्टोरल बॉण्ड जारी नही किया जाएगा । क्टे-फटे एव विकृत बॉण्ड के बदले म नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिसा जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड टूडिंग के लिए पात्र नहीं होगा ।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2016 issued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance Govt of India
- Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the nouse of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid ty period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

OSB!

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत् गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कॉरप्रोरेट केन्द्र, स्टेट बेंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुंबई - 400021 Corporate Centre State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point Mumbai - 400021

J.

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND

(प्रौमेर्सरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

C.

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT र 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि कें लिंए, बेक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते मे यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि क्रेन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार हैं।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

APR-ZGIP,

प्राधिकून हस्ताक्षरी Authorized Signatory

> IMPY DAS D 8758

नियम एव शर्त

- इलेक्टोरल वॉण्ड एक धारक विकेग लिखत होगा जिसे भारतीय रटेट वेक द्वारा आथिक कार्य विभाग वित्त मन्नालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जन्वरी 2018 के अनु नार जारी किया गया है।
- इलेक्टोरल बॉण्ड का क़ता इसे अपनी इच्छानुनार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुद कर सकता / र कती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वष 1951 का 43) दी धारा 29 क के तहत पजीकृत हो आर जिसे लाक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाल गए कुल वोटो का कम से कम एक प्रतिशन वोट प्राप्त हुआ हो ।
- इलक्टोरल् बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा में खोल गए अण्ने नामित बेक खाते में इस जमा करके किया जा सकता है।
- इलेक्टोरल बॉण्ड की देधता उसके निर्मम की तारीख़ से 15 दिन क लिए होगां और यदि बॉण्ड वेधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता हे तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगता नहीं विया जाएगा ।
- किसी भी परिस्थिति मे इस इलेक्टोरल वॉण्ड का भुगतान नकदी मे नही किया जाएगा।
- क्रेता का इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का टावा किए जाने पर कोई डुप्लिकट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले ये नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नही दिया जाएगा ।
- इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं हागा ।

- Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been ssued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nα January 2018 issued by Dept or Economic Affairs, Ministry of Finance,
- 2 Purchaser of the Electoral Bong should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Ac* 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last Ceneral Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification
- Flectoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- Electoral Bonc shall be issued to the puyer on non refundable basis 6
- No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement
- No interest shall be payable on Electoral Bond
- Electoral Bond shall not be eligible for trading

TSB!

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैक अधिनिर्यम 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act 1955) कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बेक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुंबई - 400021 Corporate Centre State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Narman Point, Mumbai - 400021

CO

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND

प्रोभेसरी नीट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

ૡઌ૱

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि 1 VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड क्रस्कीम, 2018 के अनुसार हैं।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon suffender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place रिकार्

11 0 APR 201

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorized Signatory

> इपी दास IMPY DAS D - 8758

नियम एव शत

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक विका लिखत हो 11 जिसे भारतीय रटट वेक द्वारा आधिक काय विभाग वित्त मन्नालय नारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनाऊ क्षे उन्तरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुरार किसी नी एसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 20 क के तहत पर्जी कृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा क पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटा का कम से कम एक प्रतिशन वोट एग्स हुआ हो ।
- 3 इलेक्टोरल बॅण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राज गोतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 क अनुलन्क-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा मे खोले गए अप्न नामित बेक खात मे इस जम्म करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टारल बॉण्ड की वैबता उसक निर्गम की तारीख स 15 दिन के लिए होगी आर यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त हान के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीनिक पार्टी को काइ भुगटान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति भे इस इलेट्टोरल बॉण्ड का भगतान नकदी मे नही किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हा जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड क बंदले से नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लि, पात्र नहीं होगा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bono should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 or 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 or the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading

OSBI

भारतीय रटेट वैक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैक अधिनियम, ब955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बेक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुबई -400021 Corporate Centile State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

૾

इलक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND मिसरी नीट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE

J. 19

जारी करने की तिथि। DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की रांशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जी कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमाक 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

TO THE PROPERTY OF

प्राधिकृत हम्ताक्षरी Authorized Signatory इपी दोस

IMPY DAS

नियम एव शर्ते

- 1 इलक्टोरल बॉण्ड एक धारक वैकिंग लिखल होगा जिसे भारतीय रूटेट बेक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मन्नालय भारत सरकार दवारा जारी गजट अधिसूचन स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारा किया गया है।
- 2 इलक्टोंग्ल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी का सुपुद कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पजीकृत हो और जिस लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटो का कम से कम एक प्रतिशन बोट प्राप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टारल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राज ीतिक पार्टी दवारा ाजट अधिसूचना रा 20 दिगाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत वेक शाखा में खोल गए अपने नामित देंक खाते में इसे जमा करक किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वंधता उसके निर्गम की तारीज स 15 दिन के लिए होगी आर यदि बॉण्ड वेधता अविध समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोइ भुगतान नहीं लिया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल वॉण्ड क भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- केता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मृल प्रति गुम हा जान का टावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
 कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं हाना ।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India
- Purchaser of the Electoral Board should hand it over to the Political Party of his/ner choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 or 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last Ceneral Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annequire 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bono will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be original.
- 8 No interest shall be payable on Electoral bond
- 9 Electoral Bond shall not be elig ble for trading

OSB

भारतीय रटेट वैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955) कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइट, मुंबई - 400021 Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point Mumbai - 400021

F

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND मेसरी नीट के स्वरूप में IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

وبهي

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनो तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रूपदे एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरात बैक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme 2018', notified by the Central Government in the Bazetre Notification No 20 dated the 2nd January 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

[1 0 APR 2019

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorized Signatory इपी दास

MPY DAS D-8758

नियम एव शर्त

- 1 इलेक्टोरन बॉण्ड एक धारक वैंकिंग लिखन होगा जिस भारतीय स्टेट बैक द्वारा आर्थिक काय विभाग वित्त मन्नालय भारत सरकार द्वारा जारी ग्जट अधिसूचना स 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलदरोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इञ्छानुसार कि नी नी ऐसी राजनीनिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम 1951 (वस 1951 का 45) की धारा 20 क क तहत पजीवृत्त हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम् चुनाव में डल गए कुल वोटो का कम से कम एक पितशन वोट प्राप्त हुआ हा ।
- 3 इले न्टोरल वॉण्ड का नकटीकरण काल पात्र राज ीतिक पार्टी टवारा गजट अधिसूचना छ 20 दिनाक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उन्लिखित प्राधिकृत बेंक शाखा में खोले गए अपने नामित बेंद्र चाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीख स 15 दिन के लिए हानी और यदि बॉण्ड वधता अविध समाप्त होन के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोइ भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी पिन्स्थिति में इस इलक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 कृता दृणरा इलेक्टोरल बॉण्ड यून प्रति पुम हो जान का तथा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एव निकृत बॉण्ड क ददले मे नया बॉण्ड जार्ग नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएंगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं हागा।

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banling Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2ng January 2018 saued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Pany of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encarhed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Flectoral Bond shall be valid for 15 days from the nate of issue and no paymen, shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after eaplity of validity period
- 5 No cash payment of Flectoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bonc shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest snali be payable on Electoral Boild
- 9 Electoral Bond shall not be elig ble for trading